न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 30/2019

वादीगण		प्रतिवादीगण
1 दानाराम 2 वीराराम पिसरान प्रतापाराम जाति कुम्हार निवासी प्रागाणियों की ढाणी (खारिया तला) तहसील व जिला बाडमेर।	बनाम	1 प्रतापाराम 2 खुशालाराम 3 नखताराम पिसरान चौथाराम 4 पोकरराम 5 टीलाराम पिसरान गोमाराम 6 तुलसीदेवी पत्नी गोमाराम जाति कुम्हार निवासी प्रागाणियों की ढाणी (खारिया तला) तहसील व जिला बाडमेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 RTA Act.

उपस्थिति :– 1. श्री मेघाराम चौधरी वकील वादीगण।

2. श्री भोमाराम सियाग वकील प्रतिवादी संख्या 01।

निर्णय

दिनांक 20.9.19

संक्षिप्त में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद कथन इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 06 स्वर्गीय चौथाराम के वंशज है तथा हिन्दु होने से हिन्दु विधि से शासित है। वादीगण, प्रतिवादी संख्या 01 प्रतापाराम के पुत्र होने से विधिक वारिस है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 06 की पैतृक संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा हरियाली पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 375/890 रकबा 32.114 बीघा, खसरा संख्या 924/375 रकबा 48.00 बीघा कुल रकबा 80.11 बीघा भूमि व मौजा प्रागाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 874/788 रकबा 78.04 बीघा भूमि आई हुई है जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 06 का कब्जा काश्त है। वादग्रस्त भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/12–1/12 हिस्सा निहित है। वादीगण, प्रतिवादी संख्या 01 प्रतापाराम के विधिक वारिस है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि में जन्म से ही हित निहित हो गया है। अतः मौजा हरियाली पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 375/890 रकबा 32.114 बीघा, खसरा संख्या 924/375 रकबा 48.00 बीघा कुल रकबा 80.11 बीघा भूमि व मौजा प्रागाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 874/788 रकबा 78.04 बीघा भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/12–1/12 हिस्सा निहित होने से खातेदारी का घोषित करवाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 01 की और से वाद कथन को स्वीकार करते हुए ईकबाली जवाब एवं राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है। उक्त पैतृक भूमि में वाद में अंकित हिस्सा अनुसार वादीगण का हिस्सा है, जिसे घोषित किया जाता है तो उसे कोई आपति नही है।

सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner

वादी संख्या 01 द्वारा साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र प्रस्तुत कर वाद पत्र एवं राजीनामा में अंकित तथ्यों की पुष्टी की, जिसे सामिल मिसल किया गया।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है। पैतृक भूमि में वादीगण का जन्म से हिस्सा निहित है। लिहाजा वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 प्रतापारम के साथ सहखातेदार घोषित करते हुए उपर्युक्तानुसार वादीगण का हिस्सा घोषित किया जावे। वकील प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा बहस के दौरान अवगत करवाया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है तथा वादीगण, प्रतिवादी संख्या 01 प्रतापाराम के जायन्दा पुत्र होने के नाते वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 प्रतापाराम के साथ वादीगण का जन्म से हिस्सा निहित है, जिसे घोषित करवाने के वादीगण अधिकारी है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2012 से 2031 एवं जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 का भी अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजात के आधार पर वादग्रस्त भूमि पैतृक होना प्रमाणित है तथा पैतृक भूमि में वादीगण का हिस्सा जन्म से निहित है। माफिक राजीनामा वादीगण अपना हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा हरियाली पटवार क्षैत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 375/890 रकबा 32.11 बीघा, खसरा संख्या 924/375 रकबा 48.00 बीघा कुल रकबा 80.11 बीघा भूमि व मौजा प्रागाणियों की ढाणी पटवार क्षैत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 874/788 रकबा 78.04 बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 प्रतापाराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/12–1/12 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली बमुआर फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बाड़मेर
सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 20.09.14 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बाड़मेर
सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner

प्रपत्र – 5

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाड़मेर

पीठासन अधिकारी श्री नीरज मिश्र (आर.ए.एस.) अन्तिम डिक्री

अनवान

वादीगण		प्रतिवादीगण
1 दानाराम 2 वीराराम पिसरान प्रतापाराम जाति कुम्हार निवासी प्रागाणियों की ढाणी (खारिया तला) तहसील व जिला बाडमेर।	बनाम	1 प्रतापाराम 2 खुशालाराम 3 नखताराम पिसरान चौथाराम 4 पोकरराम 5 टीलाराम पिसरान गोमाराम 6 तुलसीदेवी पत्नी गोमाराम जाति कुम्हार निवासी प्रागाणियों की ढाणी (खारिया तला) तहसील व जिला बाडमेर।

दावा बाबत् 88 रा.का.अ.

मुकदमा नम्बर :– 30/2019

निर्णय दिनांक :– 20.05.19

वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादी संख्या 01 की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 20.05.19 को श्री नीरज मिश्र, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाडमेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिकरी निम्नप्रकार दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा हरियाली पटवार क्षैत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 375/890 रकबा 32.11 बीघा, खसरा संख्या 924/375 रकबा 48.00 बीघा कुल रकबा 80.11 बीघा भूमि व मौजा प्रागाणियों की ढाणी पटवार क्षैत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 874/788 रकबा 78.04 बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 प्रतापाराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/12–1/12 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

यह आज तारीख 20.05.19 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(नीरज मिश्र)
पीठासन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, बाडमेर
सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प			
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्सप	
4 .... रूपये पर प्लीडर की फीस		प्लीडर की फीस	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
6 कमिश्नर की फीस		आदेशिका की तामील	
7 आदेशिका की तामिल		कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

Scanned by CamScanner